राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर

पत्रांकः **88** / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2022–23 दिनांकः 19.09.2022

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, **(रा0से0यो0),**
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत समस्त महाविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–246 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2022, दिनांक–17 अगस्त, 2022 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर पर अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति अधिकतम 04 वर्ष के लिए (3+1) की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सूच्य है कि महाविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की अधिकतम 04 साल की अवधि पूर्ण होने एवं निधारित अवधि (एक वर्ष) के अन्दर प्रशिक्षित न होने पर भी कार्यरत है। अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों के लम्बित / रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित नही हो रहा है। जिन महाविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है / लम्बित / रिक्त है तथा जो निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के अन्दर अप्रशिक्षित है, उनको कार्यमुक्त करते हुए शीघ्रातिशीघ्र चयन प्रक्रिया शासनदेश संख्या–1676 / सत्तर–रा0से0यो0को0–33 / 78 दिनांक–11.11.1997 के क्रम में प्रक्रियाधीन प्राविधानों के अनुरूप सम्पन्न किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रक्रियाधीन प्राविद्यानों के अनुसार अंशकालिक कार्यक्रम, अधिकारियों को नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

डॉ0**(राकेश कुमार यादव)**
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा0 कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
6. वेव मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त् सूचना विश्वविद्यालय की वेवसाइट एन0एस0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0**(राकेश कुमार यादव)**
कार्यक्रम समन्वयक

संख्या–1676 / सत्तर–रा0से0यो0को0–33 / 78

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,
सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति
संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. निदेशक,
दयालबाग शिक्षण संस्थान,
आगरा।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ दिनाँक 11 नवम्बर, 1997

विषय : विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा कर्तव्य आदि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2025 / पन्द्रह–रा0से0यो0–33 / 78, दिनांक 16 अक्टूबर, 1980, शासनादेश संख्या–1950 / पन्द्रह–रा0से0यो0–33 / 78, दिनांक 15 अक्टूबर, 1986, संख्या–1230 / पन्द्रह–रा0से0यो0–33 / 78, दिनांक 25 मई, 1987, संख्या–383 / पन्द्रह–रा0से0गो0–33 / 78, दिनांक 6 जून, 1988, संख्या–1167 / पन्द्रह–रा0से0यो0–33 / 78, दिनांक 07 अगस्त, 1992, संख्या–पन्द्रह–रा0से0 यो0–33 / 1981, दिनांक 6 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं हो रहा है। कतिपय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना ही अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात् विधिवत् कार्यभार हस्तगत न करने के कारण राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी महाविद्यालय स्तर पर योजना को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कार्यक्रम अधिकारी की रूचि, नेतृत्व, शक्ति, ईमानदारी और क्षमता पर ही राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करती है। अतएव इस ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि कार्यक्रम अधिकारियों के चयन, प्रशिक्षण व कर्तव्य के सम्बन्ध में निम्नांकित के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :–

1. महाविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों का चयन संबंधित विश्वविद्यालय के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की सलाह पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या द्वारा कुलपति / निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जाय। 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को किसी भी दशा में आउट आफ पाकेट एलाउन्स न दिया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी का कार्य उच्च कोटि का हो, तो उसके कार्यों की समीक्षा कर कुलपति / निदेशक की संस्तुति पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कार्यक्रम अधिकारी ने राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिविन्यास तथा नवीकरण (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाय जबकि प्रश्नगत कार्यक्रम अधिकारी ने अपने कार्यकाल में सभी वांछित आख्यायें, नामांकन सूचना, स्टॉक सत्यापन, व्यय

विवरण समायोजन, आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या इत्यादि विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर दिया हो। इसका स्पष्ट उल्लेख प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा कार्यकाल विस्तार के संस्तुति प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से किया जाय। वित्तीय वर्ष रागन्वित करने की दृष्टि से कार्यकाल का विस्तार तीन अथवा चार वर्ष के कार्यकाल में पश्चात् पड़ने वाले 31 मार्च तक किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत ऐसे अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों का चयन किया जाय, जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यों में अनुभव एवं विशेष रूचि हो। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय सेवा योजना संहिता के अध्याय–4 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाय।

3. प्रत्येक अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्ति के 3 माह के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि कोई अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है तो उसके स्थान पर नये कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाय। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु कृपया सभी संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाए कि वह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित समय के अन्दर कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और प्रशिक्षण के लिए नामांकित होने पर अनिवार्यतः प्रशिक्षण पर जायें।

4. नवनियुक्त अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूर्व नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करते समय राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये सभी सामान तथा उपकरण का भलीभाँति परीक्षण कर लिया जाय। पूर्व अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को अदेय प्रमाण पत्र उसी दशा में दिया जाय, जब उसके द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये सभी सामान, उपकरण तथा महत्वपूर्ण अभिलेख इत्यादि नवनियुक्त अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को सौंप दिये जाय। कार्यक्रम अधिकारी को सेवा निवृत्ति से पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र देने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1030/पन्द्रह–रा0से0यो0–8/96, दिनांक 6 सितम्बर, 1996 का कड़ाई से अनुपालन करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाये कि सेवानिवृत्ति होने वाले कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कोई सम्परीक्षा आपत्ति या अन्य किसी प्रकार की देयता लम्बित न हो। इसके पश्चात् ही कार्यक्रम अधिकारी को अंदयता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

5. शासनादेश संख्या–1175/पन्द्रह–रा0से0यो0–41/91 दिनांक 7 अगस्त, 1992 के अनुसार अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स का भुगतान उनके द्वारा निम्नांकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही दिया जाय :–

   1. आवंटित छात्र संख्या का पंजीकरण करने तथा पंजीकृत छात्रों की सूची एक माह के अन्दर कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध कराना।
   2. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या की 50 प्रतिशत छात्र संख्या विशेष शिविर कार्यक्रम तथा शेष 50 प्रतिशत कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम में लगाना।
   3. अभिगृहीत ग्राम/बस्ती के विकास के लिए प्रतिमाह राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को कम से कम तीन/चार बार अभिगृहीत ग्राम/बस्ती में ले जाना तथा कार्यक्रम क्रियान्वित कराना।
   4. राष्ट्रीय सेवा योजना संहिता के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम से सम्बन्धित वांछित अभिलेख तैयार करना और उसका सत्यापन व अनुरक्षण करना।
   5. वांछित त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति आख्या, लेखा विवरण तथा अन्य सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र पर समय से विश्वविद्यालय को प्रेषित करना। छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव/व्यय विवरण, छात्र संख्या पंजीकरण सूचना, त्रैमासिक/वार्षिक आख्यायें तथा अन्य संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय

को उपलब्ध करा देने के पश्चात् ही अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आऊट आफ पाकेट एलाउन्स स्वीकृत किया जाय। आउट आफ पाकेट एलाउन्स का भुगतान कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति प्राप्त करके वित्तीय वर्ष के अन्त में वार्षिक आधार पर किया जाय।

6. कार्यक्रम अधिकारी पद हेतु अध्यापक/अध्यापिका की अनुपलब्धता की विशेष परिस्थिति में शासन की अग्रिम अनुमति प्राप्त करके ही एक कार्यकाल अर्थात् तीन/चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् पुनः नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देश विश्वविद्यालय/संस्था स्तर पर कार्यरत अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगें। इस सम्बन्ध में कृपया विश्वविद्यालय/संस्था स्तर पर कार्यरत अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयकों तथा महाविद्यालय के प्राचार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे इस शासनादेश का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव

संख्या–1676(1)/सत्तर–रा0से0यो0को–33/78, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य एवं खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र सी–383 चर्च रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी/मुख्य लेखा नियन्त्रक, समस्त विश्वविद्यालय/संस्था, उत्तर प्रदेश।
4. अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना समस्त संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि इस शासनादेश की प्रति सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा कार्यक्रम अधिकारियों को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. श्री घनश्याम दुबे, समन्वयक, टी0ओ0सी0, साक्षरता निकेतन, आलमबाग, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. डा0 श्रीनती रेखा गुप्ता, समन्वयक, टी0ओ0आर0सी0, राष्ट्रीय सेवा योजना, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी रोड, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
डा0 सतपाल सिंह साहनी
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।